UPSP010107812023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर।

उपस्थितः– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे0ओ0कोड–यू.पी.1704)

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–613/2023

कर्णवीर पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीचन्द निवासी मकान नम्बर 3/2667, निकट होमगार्ड ऑफिस जनक नगर, खानआलमपुरा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर (भण्डारी चूडी वाले के पास) जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

.....प्रार्थी।

बनाम

बाबूराम पुत्र श्री दया किशन निवासी जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

.....विपक्षी ।

अं0धारा– 340 दं0प्र0सं0,
थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

09–07–2026

1. प्रार्थी कर्णवीर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0धारा 340 दं0प्र0सं0 विपक्षी बाबूराम के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कर परिवाद दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी कर्णवीर की ओर से यह प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र इन कथनों का प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी ने एक झूठी कहानी बनाकर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर में प्रार्थना पत्र संख्या 420/2020 बाबूराम बनाम कर्णवीर आदि अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 थाना जनकपुरी सहारनपुर दिनांक 25.06.2020 में प्रस्तुत किया था, जिसमें पक्षकार प्रार्थी के अलावा कमल शर्मा, कुनाल व सुनील नरैय्या बनाये तथा तथाकथित घटना दिनांक 11.03.2020 की शाम 04:00 बजे की विपक्षी ने अपने घर की बनाई तथा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के सम्बंध में विपक्षी ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा दिनांक 22.02.2021 में खण्डित फरमाया गया, तब विपक्षी द्वारा उक्त आदेश की निगरानी संख्या 243/2021 बाबूराम बनाम सरकार प्रस्तुत की, जो कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं–1 सहारनपुर द्वारा दिनांक 20.11.2021 में निर्णीत फरमाई गई तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 अपास्त करके विपक्षी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर पुनः सुनवाई हेतु आदेशित फरमाया गया। विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर द्वारा विपक्षी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 आदेश दिनांकित 15.03.2022 से परिवाद के रूप में दर्ज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 15.03.2022 के खिलाफ विपक्षी ने पुनः एक निगरानी न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सहारनपुर में क्रिमनल रिवीजन संख्या 221 सन् 2022 दिनांक 10.06.2022 में दाखिल की, जिसमें विपक्षी ने झूठा आधार

बनाने के लिए विपक्षी सुनील नरैया का पता जानबूझकर अज्ञात दर्ज किया। उपरोक्त निगरानी संख्या 221/2022 बाबूराम बनाम सरकार स्थानांतरित होकर श्रीमानजी के न्यायालय में वास्ते सुनवाई नियत है। विपक्षी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व निगरानी में बनाये गये विपक्षी में सुनील नैरय्या (सुनील कुमार पुत्र आत्माराम निवासी सहारनपुर) को पक्षकार बनाया गया तथा उक्त तथाकथित घटना दिनांक 11.03.2020 उसके द्वारा कारित करना बतलाया जबकि उक्त सुनील नैरय्या (सुनील कुमार पुत्र आत्मा राम) का देहान्त दिनांक 03.10.2015 में हो चुका था तथा विद्वान न्यायालय के आदेशानुसार सुनील कुमार के नोटिस पर पुलिस द्वारा अपनी आख्या में सुनील कुमार की मृत्यु होना व मृत्यू प्रमाण पत्र को संलग्न किया। विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 व निगरानी व विद्वान न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2023 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा मृतक सुनील कुमार द्वारा जानबूझकर न्यायालय में प्रस्तुत होने का तथ्य दिया है तथा मृतक सुनील सुनील (विपक्षी सं.5) पर तामीलपर्याप्त के आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना की। विपक्षी द्वारा तथाकथित अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में घटना झूठी लिखी है तथा बनाया गया पक्ष सुनील नरैय्या निवासी बीनूपाल पान वाली गली, जनक नगर सहारनपुर, जो कि दिनांक 03.10.2015 में ही मर चुका था, उसे भी अपनी झूठी कहानी में पार्टी बना दिया। चूंकि उपरोक्त निगरानी में पुलिस आख्या भी आ चुकी है तथा सुनील कुमार (सुनील नैरय्या निवासी वीनूपाल पान वाली गली, जनक नगर सहारनपुर) पहले से ही मर चुका था उपरोक्त तथ्य केवल विपक्षी ने झूठे कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा मृतक सुनील के नोटिस भी जारी हुए है। इस प्रकार विपक्षी का उक्त कृत्य दं0प्र0सं0 की धारा 195 में उपधारा 1(ए), 1(बी) में सम्मिलित भा0दं0सं0 में अपराध के अंतर्गत भा0दं0सं0 आता है। उक्त विपक्षी का कृत्य दण्डनीय है। विपक्षी के उक्त आपराधिक कृत्य, जो कि दं0प्र0सं0 की धारा 195(1)(ख) में वर्णित मामलो में आता है। इसीलिये न्यायहित में धारा 340 दं0प्र0सं0 प्रारम्भिक जांच के पश्चात विपक्षी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 340 दं0प्र0सं0 जांच के उपरान्त दण्ड दिये जाने हेतु परिवाद दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी कर्णवीर द्वारा स्वयं का शपथपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सुनील कुमार जारी दिनांक 27.07.2023 इत्यादि प्रपत्र प्रस्तुत किये गये।

4. उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्तिकर्ता/विपक्षी बाबूराम द्वारा आपत्ति इन कथनों की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थना पत्र अं० धारा 340 दं०प्र०संहिता दिनांकी 05–08–2023 मय शपथ पत्र द्वारा प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर द्वारा झूठे, असत्य, फर्जी, मनगढ़ंत व कूटरचित दस्तावेजों/तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। कर्णवीर जो एक गैंग लीडर है, नशीली दवाओं का कारोबार करने वाला, गुण्डा टैक्स वसूलने वाला दबंग, अपराधिक प्रवृत्ति का राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है तथा आये दिन अपनी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के साथ अपराधिक घटनाएं कारित करता रहता है। कर्णवीर का यह कथन कि विद्वान न्यायालय के समक्ष लंबित दाण्डिक निगरानी सं0 221/2022 बाबूराम बनाम सरकार आदि में विपक्षी सं० 5 सुनील नरैया पुत्र नामालूम उम्र 50 वर्ष (प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) दं०प्र० संहिता के अनुसार) हाल पता अज्ञात पूर्व पता बीनू पान वाली गली, तकिया, जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर की मृत्यु दिनांक 03–10–2015 को हो चुकी है,

बिल्कुल गलत व असत्य है। प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर ने जो प्रार्थना पत्र धारा 340 दं०प्र०संहिता के साथ जो मृत्यु प्रमाण पत्र दाण्डिक निगरानी सं० 221/2022 बाबूराम बनाम सरकार आदि में विपक्षी सं० 5 सुनील नरैया पुत्र नामालूम हाल पता अज्ञात पूर्व पता बीनू पान वाली गली, तकिया, जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है तथा जो मृत्यु प्रमाण पत्र थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा निगरानी उक्त के विपक्षी सं० 5 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है के अवलोकन मात्र से यह प्रथम दृष्ट्या ही फर्जी व कूटरचित दस्तावेज नजर आता है। प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र सुनील कुमार पुत्र आत्माराम उम्र 30 वर्ष निवासी जनक नगर, खान आलमपुरा, पंजीकरण सं0 2785 पंजीकरण दिनांक 07–10–2015 तथा अपडेटिड/जारी करने का दिनांक 27–07–2023 है। जबकि थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में न तो उम्र अंकित है और उसका पंजीकरण/जारी दिनांक 28–10–2015 है व पंजीकरण सं0 20012015002530 तथा पता होम सहारनपुर अंकित है, जो प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से भिन्न है। क्योंकि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र कूटरचना व छल साधित है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि एक व्यक्ति की मृत्यु का एक ही बार पंजीकरण होता है। उसका पंजीकरण संख्या व पता भी एक ही होता है। जबकि थाना जनकपुरी व प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रों में पंजीकरण संख्या, पंजीकरण दिनांक व पते भिन्न हैं। जिसके अवलोकन मात्र से सिद्ध है कि यह निगरानी सं0 221/2022 के विपक्षी सं0 5 से सम्बन्धित नहीं है तथा यह अलग–अलग व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र है। इन प्रमाण पत्रों का निगरानी सं0 221/2022 के विपक्षी सं० 5 से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है तथा इनमें लिखी मृतक की उम्र 30 वर्ष है व पते भिन्न हैं। जबकि दाण्डिक निगरानी सं0 221/2022 बाबूराम बनाम सरकार आदि के विपक्षी सं० 5 सुनील नरैया पुत्र नामालूम उम्र 50 वर्ष (प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं०प्र०संहिता के अनुसार हाल पता अज्ञात पूर्व पता बीनू पान वाली गली, तकिया, जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर अंकित है। विद्वान न्यायालय के समक्ष लंबित निगरानी सं० 221/2022 से पूर्व आपत्तिकर्ता ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, सहारनपुर के समक्ष निगरानी सं0 243/2021 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 16–07–2021 को प्रास्तुत की थी, जो स्थानांतरित होकर अपर जिला जज/सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 1, सहारनपुर के यहां से निर्णित हुई थी, जिसे पारित आदेश क्रमशः दिनांक 07–09–2021 व 20–11–2021 के अवलोकन मात्र से प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध हो जाता है कि निगरानी सं0 221/2022 का विपक्षी सं० 5 हाजिर अदालत रहा था, उसकी ओर से उसके अधिवक्ता ने हर्जा भी वसूल किया था तथा निगरानी उक्त में बहस/तर्क भी प्रस्तुत किये थे। निगरानी सं0 221/2022 के विपक्षी सं० 5, थाना जनकपुरी पुलिस व प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर आपस में साज बाज किये हुए हैं और प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर जान बूझकर निगरानी को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। विद्वान न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता द्वारा निगरानी सं0 221/2022 बाबूराम बनाम सरकार आदि वास्ते प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत की है, जिसमें विवेचना द्वारा ही विपक्षी सं० 5 की शिनाख्त की जा सकती है तथा इस स्तर पर प्रार्थना पत्र अं० धारा 340 दं०प्र०संहिता का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 340 दं०प्र०संहिता के पैराग्राफ सं० 2 व 8 में किये गये कथनों के कारण उक्त प्रार्थना पत्र विद्वान न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है और प्रथम दृष्ट्या ही खण्डित होने

योग्य है। अतः आपत्ति हाजा स्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थना पत्र देहन्दा कर्णवीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 340 दं०प्र०संहिता निरस्त/खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. उभपयक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अवलोकन से विदित है कि विपक्षी बाबूराम द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर में प्रार्थनापत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण करणवीर, कमल शर्मा, कुणाल व सुनील नैरय्या के विरुद्ध थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत किया था। प्रार्थी कर्णवीर का कथन है कि बाबूराम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व निगरानी में विपक्षी सुनील नैरय्या (सुनील कुमार पुत्र आत्माराम निवासी सहारनपुर) को पक्षकार बनाया गया। उक्त सुनील नैरय्या (सुनील कुमार पुत्र आत्माराम निवासी सहारनपुर) का देहान्त दिनांक 03.10.2015 को हो चुका है। प्रार्थनापत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में घटना दिनांक 11.03.2020 की अभिकथित है।

7. कार्यालय नगर निगम सहारनपुर से इस सम्बन्ध में आख्या भी आहूत की गयी, जिसमें सुनील कुमार पुत्र आत्माराम की मृत्यु दिनांक 07.10.2015 को होना कहा गया। इस प्रकार बाबूराम द्वारा जानते हुए मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 व निगरानी प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी कर्णवीर का कथन है कि बाबूराम द्वारा उक्त कृत्य जानबूझकर किया गया, जिस कारण उसके द्वारा न्यायालय में मिथ्या कथन का कृत्य किया गया। इस प्रकार विपक्षी का उक्त कृत्य धारा 195 दं0प्र0सं0 की श्रेणी में आता है, जिस कारण धारा 340 दं0प्र0सं0 की शक्तियों का उपयोग करते हुए विपक्षी बाबूराम के विरुद्ध परिवाद दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

8. बाबूराम द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि उसके द्वारा सुनील नैरय्या पुत्र नामालूम के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया था। जो कि सुनील पुत्र आत्माराम से भिन्न है।

9. थाने व नगर निगम से प्राप्त आख्यानुसार सुनील कुमार पुत्र आत्माराम निवासी जनकनगर, खानआलमपुरा, सहारनपुर की मृत्यु दिनांक 07.10.2015 को होना बताया गया। उक्त सुनील कुमार पुत्र आत्माराम व सुनील नैरय्या एक ही व्यक्ति है अथवा भिन्न–भिन्न व्यक्ति हैं, इसकी अवधारणा परिवाद के निस्तारण उपरान्त ही की जाना सम्भव है। जिस कारण धारा 340 दं0प्र0सं0 के प्रार्थनापत्र का इस स्तर पर कोई औचित्य नहीं है।

10. धारा 340 दं0प्र0सं0 यह प्रावधानित करता है कि–

> When, upon an application made to it in this behalf or otherwise, any Court is of opinion that it is expedient in the interests of Justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 195, which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that Court or, as the case may be, in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that Court, such Court may, after such preliminary inquiry, if any, as it thinks necessary,---
>
> (a) record a finding to that effect;

(b) make a complaint thereof in writing;
(c) send it to a Magistrate of the first class having jurisdiction;
(d) take sufficient security for the appearance of the accused before such Magistrate, or if the alleged offence is non-bailable and the Court thinks it necessary so to do, send the accused in custody to such Magistrate; and
(e) bind over any person to appear and give evidence before such Magistrate.

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था ***Narendra Kumar Srivastava vs The State Of Bihar 2019 (3) SCC 318*** में अवधारित किया है कि–

> The object of this Section is to ascertain whether any offence affecting administration of justice has been committed in relation to any document produced or given in evidence in court during the time when the document or evidence was in *custodia legis* and whether it is also expedient in the interest of justice to take such action. The court shall not only consider *prima facie* case but also see whether it is in or against public interest to allow a criminal proceeding to be instituted.

12. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी कर्णवीर द्वारा विपक्षी बाबूराम पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 व निगरानी योजित की। विपक्षी बाबूराम द्वारा सुनील नैरय्या के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया था। किन्तु न्यायालय द्वारा प्राप्त आख्या में मृत्यु प्रमाण पत्र सुनील कुमार पुत्र आत्माराम अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है तथा उसमें अग्रिम कार्यवाही होना शेष है। इस स्तर पर मात्र सुनील कुमार पुत्र आत्माराम के मृत्यु प्रमाण पत्र से यह अवधारणा की जानी समीचीन नहीं है कि विपक्षी बाबूराम द्वारा जानबूझकर मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थनापत्र योजित किया गया है। ऐसे में न्यायहित में इस स्तर पर यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रकरण की प्रारम्भिक जांच करायी जाये।

13. अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

14. प्रार्थी कर्णवीर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0धारा 340 दं0प्र0सं0 **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–09.07.2026

(निशान्त देव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–12, सहारनपुर।
JO Code-UP1704

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.09 16:28:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur